न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 32 / 2021

दायर दिनांक – 26.07.2021

निर्णय दिनांक – 24.11.2021

जीसीएमएस नं0 –2021 / 67

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी गण
1. श्री पुखराज दग्दी पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम कोठी, चावंडिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। 2. पटवारी, पटवार हल्का बांसेली तहसील पुष्कर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार ,पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता सं0 392 के खसरा नं0 174 रकबा 0.04 है0 किस्म ''गै.मु.रास्ता'' के स्थान पर किस्म ''बारानी'' की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर स्थित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्किंग खसरा नं0	रकबा	किस्म	वर्तमान खसरा नं0	रकबा	किस्म
212	2–18–00	बारानी	174/1	0.43	चाही
			174	0.04	गै.मु.रास्ता

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:47:49 IST
Reason: SelfAttested

24.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2172 दिनांक 25.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **ग्राम बांसेली की हाल सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं0 392 में खसरा सं0 174 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.रास्ता पुखराज पुत्र मांगीलाल जाति माली सा. चावंडिया कोठी खातेदार हिस्सा 43/47 तथा सुशीला देवी पत्नी भंवरसिंह सिंगोदिया हिस्सा 4/47 जाति माली सा. मुन्दड़ी मोहल्ला अजमेर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में धारा 136 अन्तर्गत ग्राम बांसेली के हाल ख.नं. 174 किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर किस्म बारानी करके इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है। वस्तुत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का ना होकर भूमि के वर्गीकरण किस्म के परिवर्तन का है जो कि धारा 136 के अन्तर्गत अनुशंषनीय नहीं है।**

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम गोयला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता सं0 392 के खसरा नं0 174 रकबा 0.04 है0 किस्म "गै.मु.रास्ता" के स्थान पर किस्म "बारानी" करके इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है। प्रार्थना–पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का ना होकर भूमि के वर्गीकरण किस्म के परिवर्तन का है जो कि धारा 136 के अन्तर्गत अनुशंषनीय नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

24.11.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:47:49 IST
Reason: SelfAttested